# Abstract of demand raised by all divisions encountered in construction of 400kV D/C Jaunpur Obra Transmission Line

e Only	Twenty Crore Ninty Six Lakh Seventy OneThousand Five Hundred Fourty One Only	OneThousand Five	y Six Lakh Seventy (	Twenty Crore Ninty			O A	
		₹ 209,671,541.00	₹ 209					
	₹209,671,541.00	₹478,510.00	₹ 13,544,596.00	₹30,679,281.00	₹ 164,969,154.00	89.632	SUB TOTAL	
Letter No 1571/Obra/15 dated 23.12.2020	₹2,260,284.00	₹0.00	₹0.00	₹736,600.00	₹1,523,684.00	2.434	Forest Division Obra	ъ
Letter No 1792/33-1, dated 26.12.2020	₹ 154,934,288.00	₹209,366.00	₹5,657,664.00	₹15,458,200.00	₹ 133,609,058.00	39.536	Kaimur Wildlife division Mirzapur	4
Letter No 2345/Mirzapur/15 dated 18.12.2020	₹ 49,274,746.00	₹269,144.00	₹6,541,859.00	₹13,117,489.00	₹ 29,346,254.00	46.879	Forest Division Mirzapur	з
Letter No 1937/29-1, dated 01.01.2021	₹882,474.00	₹0.00	₹ 495,992.00	₹220,592.00	₹165,890.00	0.265	Social Forestry Division Varanasi	2
Letter No 1879/14-16, dated 11.12.2020	₹2,319,749.00	₹0.00	₹849,081.00	₹1,146,400.00	₹324,268.00	0.518	Social Forestry Division Jaunpur	ъ
Demand Note Details	Total Demand	Pillaring	Medicinal Plantation	Compensatory Afforestation	NPV	area in Ha	Division	Sl.no
			Finantial Outlay			Forest		'

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

पत्रांक - 1937

/ 29—1 दिनांक,

वाराणसी,

क्रांबर ,

सेवा में,

मै0 ओबरा सी बदायूं ट्रान्समिशन लि0 हाउस सं0 116, ग्रीन पार्क, बीसालपुर रोड, बरेली।

विषयः ओबरा सी बदायूं ट्रान्सिमशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सिकर्ट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 3 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019)

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0— 8बी / यू0पी0 / 04 / 90 / 2020 / एफ0सी0 / 1071 दिनांक—07.12.2020 ।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यलय को पृष्ठाकिंत है, के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कितपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षितपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० तथा प्रस्तावित लाईन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के रोपण आदि की धनराशि e-portal के माध्यम से जमा कर एवं समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पूर्ण कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:—

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं Legal status of the forest land shall remain होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। unchanged. Compensatory afforestation shall be taken up प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वाराणसी वन प्रभाग द्वारा by the Forest Department over 180.57 ha वाराणसी भदोही रेल मार्ग कि0मी0 200 से 202 के मध्य, degraded forest land (94 ha in village - Bela, वाराणसी रेंज के अन्तर्गत 0.53 हे0 अवनत वन भूमि पर Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया village - Patehwa, Tehsil- Dala, District -जायेगा तथा मोनो कल्चर नहीं किया जायेगा। Sonbhadra, 80.00ha. in village - Bhaiswar, Khairatiya, Mohani, Tehsil - Ghorawal, District Mirzapur, 0.53 ha in village – Kapsethi, Tehsil-Varanasi, District- Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous

The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

species shall be planted and monoculture of

any species may be avoided.

3

परियोजना में प्रभावित हो रही 0.265 हे0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 0.53 हे0 वन भूमि में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 2,20,592/— (दो लाख बीस हजार पॉच सौ बानबे मात्र) की धनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा करायें।

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	एन0पी0वी0 रु0 1,65,890 / — ( एक लाख पेंसठ हजार आठ सौ नब्बे मात्र) की धनराशि ई—पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल्ली में जमा करायें।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।
6	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि में बाधक / पातन किये जाने वाले वृक्षों में से न्यूनतम / अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन कराया जाय तथा बाधक वृक्षों का पातन वन विभाग की निगरानी में उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग / फेलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का भुगतान उ०प्र० वन निगम को कराना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभग द्वारा वाराणसी वन प्रभाग को कराना होगा।
7	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	पारेषण लाइन के नीचे 1 हे0 पर बौनी प्रजातियों मुख्यतः औषधीय पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वषो तक रख रखाव हेतु आवश्यक प्राक्कलित धनराशि रु० ४,95,992/— (चार लाख पंचानबे हजार नौ सौ बानबे मात्र) की धनराशि ई—पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा करायें।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
9	The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे आपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (bird deflector) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर पारेषण लाइन के ऊपरी कंडक्टर में करेगें।

10	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	प्रयोक्ता अभिकरण को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने के दौरान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0 7—25/2012 एफ0 सी0, दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।		
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।		
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमित के बिना नहीं बदला जायेगा सम्बन्धी वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।		
13	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।		
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन क्य कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।		
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकित किया जाय।		
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।		
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	परियोजना का प्रस्तावित अवधि या दी जाने वाले पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, पर लागू होगा।		
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उददेश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।		
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।		

20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश एफ0सं0-11-42/2017-एफ0सी0/1071 दिनांक- 29. 01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.	वाराणसी वन प्रभाग में लागु नहीं है।
22	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	वाराणसी वन प्रभाग में लागु नहीं है।
23	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो।
24	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्रं उपलब्ध कराया जायेगा कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय—समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
25	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through eportal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई—पोर्टल ( <u>https://parivesh.nic.in</u> ) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित / जमा की जायेगी।
26	The compliance report shall be uploaded on <i>e-portal</i> (https://parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या ई—पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

प्रभागीय विभावतारी वाराणसी वन प्रभ्रम्म, वाराणसी

संख्या 1937

समदिनांक

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रतिलिपि—वन संरक्षक, वाराणसी वृत, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाशिकार वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर। पत्रांक 1879 / 14-16 दिनांक जीनपुर दिसम्बर, 1/ ,2020

सेवा में

विषय:-

सन्दर्भ:--

एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट ओवरा-सी बड़ौन ट्रान्सिमशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021।

आनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/40906/2019

जनपद जौनपुर में ओवरा-सी बदायुँ ट्रान्सिमशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित ग्रामों/क्रासिंग मार्गों के अन्तर्गत 400 केवीं० डी०सी० जौनपुर-ओबरा ट्रान्समिशन लाइन बिछाने हेतु मूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक संख्या-8बी/यू.पी.

/04/90/2020/एफ0सी0/1071 दिनांक 07.12.2020। महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ संरक्षित भूमि पर विषयगत् 400 केवी० डी०सी० जौनपुर-ओबरा ट्रान्सिमशन लाइन बिछाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि उक्त शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करते हुए शुद्ध वतर्मोन मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ०प्र०, में वन विभाग के माध्यम से जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का यू०टी०आर० नंम्बर, ऑनलाईन उत्पन्न पावती रसीद एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5 प्रतियाँ में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जा सके।

क्रम संव विवरण प्रस्तावित धनराशि (रू०में) शर्त संख्या-2, 3 के अनुपालन में 15.80 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण (C.A) क्षतिंपरक 11,46,400.00 एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी०ए०) वक्षारोपण शर्त संख्या-7, के अनुपालन में 1.00 हे0 क्षेत्र में औषधिय पौध औषधिय पौध 8,49,081.00 वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी०ए०) वृक्षारोपण शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.518 (N.P.V) शद 3,24,268.00 हैं0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हैं0 की दर वर्तमान मुल्य से) / (एन०पी०वी०) योग-23,19,749.00

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village - Bela, Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village - Patehwa, Tehsil- Dala, District - Sonbhadra, 80 ha in village - Bharwar, Kharatiya, Mohani, Tehsil - Ghorawal, District -Mirzapur, 0.53 ha in village - Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District- Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur ) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for

works scheduled for subsequent years.

4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89,632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to

this effect.

6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

- 7. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.
- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Clienton.
- The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to nbe fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
- The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection)
  Act, 1986, if applicable...
- 12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government:
- 13. No labour camp shall be established on the forest land.
- 14. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 15. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 16. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till
  clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected
  area (PA) till NBWL clearance is obtained.
- 22. If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand stand revoked impromptuand no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).
- DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.
- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.
- 26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/).

भवदीय

(गिरीशे चन्द्र त्रिपाठी) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

प्रतिलिपि—मुख्यं वन संस्क्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि—वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

> (गिरीश चन्द्र त्रिपाठी) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पन संख्या - 1792/33-1, सेवा में

मीरजापुर, दिनांक दिसम्बर 26 2020.

्री0 ओबरा सी बदायूं ट्रान्सिमशन लि0 हाउस सं0 116, ग्रीन पार्क,

बीसालपुर रोड, बरेली। विषय:

औवरा सी बदायूं ट्रान्सिमशान लि0 द्वारा प्रमावित 400 के0वीं० उबल सकिर्ट जीनपुर-ओवरा पारेषण लाइन के निर्माण में कैमूर वन्यजीव प्रभाग भीरजापुर में प्रभावित 39.536 हैं। आरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोठी में से 310 वृक्षों एवं 09 बांस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन 8वी / यू०पी० / 04 / 90 / 2020 / एफ०सी० / 1071 दिनाक-07.12.2020 । एवं परिवर्तन मंत्रालय पत्र HO-

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यलय को पृष्ठाकित है, के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष कतिपय शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०बी० तथा प्रस्तावित लाईन के नीचे बाँने (मुख्यतः औषधीय) पौधाँ के रोपण आदि की धनराशि e-portal के माध्यम से जमा कर एवं समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पूर्ण कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	त्त्वा न इस कायालय का उपलब्ध करान का केस्ट करः— यन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village – Bela, Tehsil- Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village – Patehwa, Tehsil- Dala, District – Sonbhadra, 80.00ha. in village – Bhaiswar, Khairatiya, Mohani, Tehsil – Ghorawal, District – Mirzapur, 0.53 ha in village – Kapsethi, Tehsil-Varanasi, District – Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर कैंमूर वन्य जीव प्रमाग मीरजापुर द्वारा भैंभवार, खैरटिया एवं मोहनी गांव, घोरावल रेंज के अन्तर्गत 80,00 है0 अवनत वन मृप्ति पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा तथा मोनो कल्चर नहीं किया जायेगा।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	परियोजना में प्रमावित हो रही 39,536 है0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 80.00 है0 वन भूमि में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रूठ 1,54,58,200/— (एक करोड़ चीवन लाख अहावन हजार दो सौ मात्र) की घनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा करायें।

4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006, FC dated 18/09/2003, as well as	परियोजना में प्रमावित हो रही 39,536 हे० वन भूमि र एन०भी०वी० रूठ 13,36,09,058/— (तेरह करोड़ छत्तीस ला नौ हजार अद्वावन मात्र) की घनराशि ई—पोर्ट https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल में जमा करायें।				
5	letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.  Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का चवनबद्धता प्रमाण पत्र प्ररुतुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती हैं, तो बढ़ी हुई घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।				
6	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि में बाधक / पातन किये जाने वाले वृक्षों में से न्यूनतम /अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन कराया जाय तथा बाधक वृक्षों का पातन वन विमाग की निगरानी में उठप्रठ वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विमिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विमाग द्वारा कटिंग, फेलिंग एवं ट्रांसपोटेंशन चार्जेज का भुगतान उठप्रठ वन निगम को कराना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विमग द्वारा कैंमूर बन्य जीव				
7	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	प्रभाग मीराजापुर को कराना होगा। परिषण लाइन के नीचे बीनी प्रजातियाँ मुख्यतः औषधीय पीधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक प्राक्कित धनराशि रु० 56,57,664/— (छप्पन लाख सत्तावन हजार छह सौ चैंसठ मात्र) की धनराशि ई—पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड,नई दिल्ली में जमा करायें।				
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, सोनमद्र द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।				
9	The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे आपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (bird deflector) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर पारेषण लाइन के ऊपरी कंडक्टर में करेगें।				
10	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	प्रयोक्ता अभिकरण को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने वे दौरान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तनं मंत्रालय की पत्र संख्या संठ 7—25/2012 एफ० सी०, दिनांव 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के निर्देशों का अनुपाल सुनिश्चित करने सम्बन्धी वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।				
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व तहत यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।				

12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदल जायेगा सम्बन्धी वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पट प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों का वन मुमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नर्र
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	किया जायेगा।  प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पट्ट प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकडी, अन्य वैकल्पिक ईघन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
15	the boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोवत अभिकरण को प्रमागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रमाग, मिर्जापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन मूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुधित रूप से सीमांकित किया जाय। सर्वे सीमांकन आर.सी. पी. पिलर का प्राक्कलन मुठ 2,09,366.00 रूपये का संलम्न है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	है।  प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनया जायेगा।
	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोवता अभिकरण के अवधि या दी जाने वाले पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, पर लागू होगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोवता अभिकरण द्वारा इस आशय का वयनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उददेश्य/प्रयोजन हेतु प्रमावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोवता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन मूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के विना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
20	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा, तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश एफ0सं0-11-42/2017-एफ0सी0/1071विनांक- 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
21	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in protected area (PA) till NBWL clearance is obtained.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का ववनबहुता प्रमाण पन्न उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य आरम्म नहीं की जायेगी।
22	If, clearance from NBWL is not granted then this In Principal approval shall stand stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पर उपलब्ध कराया जायेगा कि संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमति/ स्वीकृति न मिलने पर गैर संरक्षित क्षेत्र में किये गए कार्य पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई दावा नई किया जायेगा।

DFO should certify that as				
in the said proposal (Conservation) Act, 1980	प्रयोवता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो।			
Any other condition				
Environment, Forests & Climate Ministry of stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोगता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय—समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।			
All the funds received a				
under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e- portal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के नाध्यम से केवल CAMPA फंड			
The compliance report 1	में हस्तांतरित/जमा की जायेगी।			
portal (https://parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या ई—पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।			
	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.  The compliance report by the standard development of the user agency under the project shall be transferred.			

उपरोक्त सभी शतों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी क्रिये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

संख्या

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 2

> (आशुतोष जायसवाल) प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, ७०५०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्भों की स्थापना कार्य

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसिमशन लिगिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 केवनी० डबल सर्किट जॉनपुर-ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु कैंमूर वन्य जीव प्रमाग मीरजापुर में प्रमावित 39.536 हैं0 आरक्षित वन भूमि के गेर वानिकी प्रयोग तथा प्रमावित 585 बुक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 बृक्षों एवं 9 बॉस कोठी के पातन के साबन्ध में जनपद सोनमद में प्रत्यावर्तित 39.536 हें0 आरक्षित वन मूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

> पुल वन सीमा सर्वे कार्य — 8.595 किमी0 सीमा स्तम्म स्थापना हेतु चिन्हांकन —20 सीमा स्तम्म इन्डीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन —70 इन्डीकेटर

क्र सव		विवरण				इकाई	माआ	दर	घनराशि	अनुसूची दर
1	सर्वे धार्थ					प्रवर्धन	429.75	6.60	2836.35	
2	सीमा स्तम्म एवं इंडिवोटर स्थापना हेतु चिन्ह	कन				प्रति	90	1.48	133.20	
						910	80	योग	2969.55	
		सी	मा स्व	का कार्य	की स्थ	TENTON .		वाग	7969100	
क्र संव	कार्य का नाम					14-11_				
1	नीव का खुदान सीमा स्तम्भ स्थापना हेतु	संख्या	सम्बाई	यौड़ाई	ॐचाई / गहराई	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	पी०डब्लू०डी० अनुसूची दर
	तहाका र नवासला	20	0.50	0.50	0.50	3	যাগদীর	110	275.00	252
2	1:2.4 सीमेन्ट बालू 2एम0एम0पत्थर गिट्टी से ककरिटीम कार्य	20	0.50	0.50.	0.60	3.00	चवर्गाव	6400	19200.00	282
0	The state of the s	20	0.433	0.433	0.50	1.88	Torito	6400	12032.00	282
3	1:24 सीमेन्ट बालू 20 एम0एम0 गिट्टी से सीमा स्तम्म निर्माण	20	0.25	0.25	1	1	иото	6600	8250.00	283
4	सीमा स्तम्म हेतु लोहा सरिया का मूल्य	20	0	0	0.15	3				
5	प्लास्टर कार्य 14 सीमेन्ट वालू मसाला से	20x4	0.00		1,500	1991	कुन्तल	4500	13500.00	502
	Total di	20x4	100000000000000000000000000000000000000	0.25	1.00	20	±0मी0	128	2560.00	584
6	सीमा स्तम्म की पुताई सफेद सीमेंट से	20	0.25	0.25	0.00	1.25	morto.	128	160.00	584
	इण्डिकेटर	20	0.00	0.00	0	20	nig.	67	1340.00	662
7	सीमा स्तम्म में लाल-इस पेंटिंग एवं सीमा									
,	स्तम्म पर वन विभाग को जीठपी८एस० न० एवं संख्या लिखवाई कार्य	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	50	3500,00	
8	इण्डिकेटर पत्थर का क्रग्र मूल्य	70	0.25	0.25	0.70	70	प्रति			
9	इण्डिकोटर पत्थर का साइव तक बुलान	70	0.00	0.00	0.70	10.00		825	57750.00	
	काय			0.00	0	70	प्रति	56.60	3962.00	
10	इण्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरयोझ द्वारा साइड से कार्य स्थल तक दुलान एवं लगाना	70	0.00	0.00	0	70	प्रति	8.20	574.00	-
11	इण्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर डालना	70	0.00	0.00	0	70	সনি	4.30	301.00	
12	अन्य आकरिमक व्यय					20	-0.07			
	योग					20	प्रतिप्रक्रिमी	160	3200.00	-
	कुल योग (सर्वे तथा सीमा स्तम्मों की स्थापना								126604.00	
	का योग ) सम्पूर्ण योग								2969.55	
	सान्यूण वाग								129573.55	
	41								130000.00	

पर्व 2016 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये पर वर्ष 2021 के लिये रूपये 209366.00 मात्र (दो लाख नी हजार तीन सी छोछठ रूपये )

प्रभागीय जनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र। पत्रांक 1571/ओबरा / 15 भू०ह० दिनांक, 23-12-2020.

रोवा में

मै0 ओबरा सी बदायू ट्रान्समिशन लि0, हाउस सं0 116, ग्रीन पार्क, बीसालपुर रोड, बरेली।

ओबरा सी बदायूं ट्रान्सिमशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सिकर्ट विषय:-जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हें0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/40906/2019)

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0 सन्दर्भ:--- 3वी / यू0पी0 / 04 / 90 / 2020 / एफ0सी0 / 1071 दिनांक-07.12.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-1379 / 11-सी दिनांक-10.12.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि ओबरा सी बदायूं ट्रान्सिमशन लि0 द्वारा प्रभावित 400 के0वी0 डबल सकिर्ट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतू भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या सं0-8बी/यू०पी०/04/90/2020/एफ०सी०/ 1071 दिनांक--07.12.2020 द्वारा 26 (छब्बीस) शर्ता के अधीन प्रदान की गयी है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक रवीकृति आदेश दिनांक-07.12.2020 में अंकित समस्त शर्ता की बिन्द्वार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पाँच प्रतियों में आवश्यक अभिलेखो सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें:-

भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायू अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका क्र0 परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) सं० केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/04/ 90/2020/ एफ0सी0/1071 दिनांक- 07.12. 2020 में अंकित शर्तों का विवरण

विवरण

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha in village – Bela, Tehsil-Marihan, District Mirzapur, 5 ha in village – Patehwa, Tehsil- Dala, District – Sonbhadra, 80 ha in village – Bharwar, Kharatiya, Mohani, Tehsil – Ghorawal, District – Mirzapur, 0.53 ha in village – Kapsethi, Tehsil- Varanasi, District Varanasi, 1.04 ha along Lumbani Duddhi Road between km 268 to 270, District Jaunpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	का दर सं, २०० ७,36,600/ — (सात लाख छत्तीस हजार छह सौ मात्र) की धनराशि ई पोर्टल https:// parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 89.632 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India 30/10/2002. dated 01/08/2003. 28/03/2008. 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाली 2.434 हे0 वन भूमि का 626000 रुपये प्रति हे0 की दर से रु0 15,23,684/— (पन्द्रह लाख तेईस हजार छह सो चौरासी मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि ई—पोर्टल <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

इस शर्त के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा जमा की जायेगी।

Of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

इस शर्त के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग में पारेषण लाइन के निमार्ण में कोई वृक्ष बाधक नहीं हैं, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।

7	The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of	इस शर्त के अनुालन में पारेषण लाइन के नीचे बौनी प्रजातियों का वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।
	plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department.	
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण पूर्ण विवरण सहित वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।
9	The user agency at its cost shall provide bird deflector, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	पर पारेषण लाइन के ऊपरी कंडक्टर में करेगे।
10	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	7-25/2012 एफ0 सी0, दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धी वचनबद्वता प्रमाण
11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार के पूव अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा, सम्बन्धी वचनबद्वता प्रमाण पत्र

		प्रस्तुत किया जाय।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिको का वन भूमि पर कोइ भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुलान में प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईधन क्य कर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 2.434 हे0 वन भूमि की सीमा को परियोजना के लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाना है।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनया जायेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुालन में परियोजना की अवधि प्रयोक्ता अभिकाण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पटटे की अवधि जो भी कम हो, पर लागू होगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उददेश्य/प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

_	4	
	other agencies described to a	no इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग नारिक
	Violation of any of these condition will amount to violation of Fore (Conservation) Act, 1980 an action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 1142/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रतिकृति किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशानिर्देश एफ०सं० 11–42/2017—एफ० सी०/1071 दिनांक—29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही
	Undertaking to be given by the use agency for not initiating any work in Protected Area (PA) till clearance from NBWL is obtained. Concerne DFO should ensure that no work are executed in protected area (PA till NBWL clearance is obtained.	हर इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमित के बग़ैर कोइ भी कीय आरम्भ नहीं की जायेगी।
22	granted then this In Principal approva- shall stand stand revoked impromptu- and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति/ स्वीकृति ना मलिने पर गैर संरक्षित क्षेत्र में किये गए कीय पर प्रयोक्ता अभिकाण द्वारा कोई दावा
23	DFO should certify that No works are executed in violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	वर्षा कर्
24	of folesis & Wildlife	इस शर्त के अनुालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।

25	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	इस शर्त के अनुालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से केवल CAMPA फंड में हस्तांतरित/जमा की जायेगी।
26	The compliance report shall be	अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <u>https://</u> parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

> (प्रखर मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी, द्भोबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र

संख्या- अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (प्रखर मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक- 2345 /मीरजापुर/ 15, दिनांक, मीरजापुर, दिसम्बर । 8 2020

महाप्रबन्धक, ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, मकान न0—116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली —243008 उत्तर प्रदेश

विषय— ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ४०० के०वी० डबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित ४६.८७७ है० आरक्षित एवं सर्रक्षित वन सृमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित ३६४ वृक्षों एवं ४९४ बॉस कोठी में से २३८ वृक्षों एवं २९० बॉस कोठी के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत् अनुमित प्रस्ताव के

सन्दर्भ-1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, के पत्र संख्या—8बी/यू०पी०/04/90/2020/एफ0सी०/1071,दिनांक 07.12.2020 । पुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०,लखनऊ का पत्र संख्या—1370/44 और १९८५ विभाग

का पत्र संख्या—1379 / 11—सी—FP/UP/TRANS/40906/2019, लखनऊ दिनांक 10.12.2020 ।

ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सिकंट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीराजापुर वन प्रमाग में प्रमावित 46.879 हैं0 आरक्षित एवं सर्रक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रमावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, के पत्र उल्लिखत 26 शर्तों के अधीन सिद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है उत्तर शर्तों का अनुपालन करते हुये वांछित धनराशि, ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई—चालान द्वारा जमा कर सद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/अण्डरटेकिंग/चालान की प्रति दिनांक सिहत (RTGS/NIFT की रसीद,UTR नम्बर, बँक का नाम व ब्राच का पता व दिनांक सिहत) 05 प्रतियों में मूल में इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

Sl.	Condition	Status - 5 C . III						
1-	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Status of Complilence वन भूमि की वैधानिक स्थिति से कोई परिवर्तन नहीं होगा।						
2-	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 180.57 ha degraded forest land (94 ha. in village — Bela , Tehsilmadihan , Distrit — mirzpaur, 5 ha. in Village — Patehwa , Tehsil- Dala , Distcrit — Sonebhadra , 80 ha. in village — Bharwar — kharatiya, mohani , Tehsil- Ghorawal , District Mirzapur , 0.53 ha. in village — Kapsethi , Tehsil — Varanasi , Dist. Varanasi 1.04 ha. along Lumbani Duddhi Road	प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग, मीरजापुर द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मिड़हान रेंज अन्तर्गत ग्राम— बेला, तहसील—मिड़हान, जिला मीरजापुर में 94.00 हे0 अवनत वन भूमि पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा।						
Varanasi 1.04 ha betweer Km.268 cost of the user mixture of loca in		क.सं.	रेंज	ग्राम	बीट	क0न0	अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल	
	betweer Km.268 to 270 District – Jaunpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of loca indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	1	मड़िहान	बेला	बेला	बेला क0न0–5, 6	94.00	
3-	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate	भूमि पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक प्रॉक्कलित धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित)रू० 1,22,73,674.00 (एक करोड़ बाइस लाख तिहत्तर हजार छः सौ चौहत्तर) की धनराशि पर उ०प्र० शासन						

	provision for anticipated cost increase for works	The same of the sa				
	scheduled for subsequent years,	संख्या-ए-2-1606 / दस / 2014-17(4) / 75 लखनऊ दिनांव				
		11.11.2014 के अनुसार उक्त पर 6.875 प्रतिशत सेंटेज चार्ज रू				
		1,22,73,674 + 6.875% = 1,31,17,489.00( एक करोड़ इकतीर				
		लाख सत्तरह हजार चार सौ नवासी रूपये मात्र) की वांछित				
		धनराशि 'CAMPA'मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-				
4-	The Period	portal(https://:parivesh.nic.in) उत्पन्न ई—चालान द्वारा जम की जायेगी।				
+-	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 89.632 ha, forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated (30/10/2002,01/08/2003, 28/03/2008,24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/ 1995 and as per the guidelines issued by the	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक				
		(30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2018 and 09-05-				
		2008 in IA no. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the				
		guidlines issued by the Ministray vide letter no. 5-1/1998-FC-				
		(PT) dated 03-10-2006 and letter no. 5-2/2007-FC dated 05-02-				
No.	No. 5-1/1998-FC(Pt Indeted 1970) vide letters	2009) के अनुसार पारेषण लाइन के निर्माण से मीरजापुर वन				
	as letter No.5-2/2006-FCdated 03/10/ 2006 and 5- 3/2007-FC dated 05/03/20003	प्रभाग की प्रभावित 46.879 है0 आरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेंट				
	3/2007-FC dated 05/02/2009) in this regard.	वैल्यू (NPV) 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 6.26 लाख x				
		46.879= 2,93,46,254.00( दो करोड़ तिरानबे लाख छियालिस				
		हजार दो सौ चौवन रूपये मात्र) की वांछित धनराशि CAMPA मद				
		में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal (https://: parivesh.nic.in)				
5-	Additional amount of the NPV of the diverted	उत्पन्न इ–चालान द्वारा जमा की जायेगी।				
		प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली				
	on receipt of the report from the Event C	अधिकारी को यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि इस अविध में				
	strait of charged by the State Covernment from the	मां उच्यतम न्यायालय द्वारा एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट प्राप्त				
	User Agency. The User Agency shall furnish an under taking to this effect.	होने पर यदि एन०पी०वी० दर संशोधित होती है, तो बढ़ी हुयी				
	and office.	धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी,बदायूँ ट्रांसिनशन लिमिटेड,				
6-	User agency shall restrict the felling of trees to	बरेली को जमा करना होगा।				
	minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली				
	of the State Forest Department and the cost of	द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित/चिन्हित वन भूमि				
	tening of trees shall be deposited by the User					
	Agency with the State Forest Department.	वाले वृक्षों में से न्यूनतम/अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन कराया				
		जाय तथा बाधक वृक्षो का पातन वन विभाग की सख्त निगरानी में उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा एवं पातन की विभिन्न				
		प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग फेलिंग लांगिग एवं				
		द्रांसपोटेशन चार्जेज का भुगतान उ०प्र० वन निगम को करना				
		होगा। वृक्षों के छपान का व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा				
		विन विभाग,मारजीपुर की करना होगा।				
7-	The User agency in consultation with the State	प्रायोक्त अभिक्ताम अस्ति के न्य				
	Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf					
	species (preferably medicinal plants) in right of	879 로이 완전 보고 교리를 다고 다른 그는 그 그는 그				
	way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State					
	Forest Department.	(वर्तमान दरो का समाहित करते हुये यथा संशोधित)				
		रू० 61,21,038.00 (इकसट लाख इक्कीस हजार अठतीस रूपये				
		मात्र) की धनराशि पर उ०प्र० शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2				
		लखनऊ के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस/2014-17/75				
		लखनऊ दिनांक 11.11.2014 के अनुसार उक्त पर 6.875 प्रतिशत				
		सेंटेज चार्ज सेंटेज चार्ज 61,21,038 +6.875%= रू0 65,41,859.00				
		(पैसठ लाख इकतालीस हजार आठ सौ उनसठ रूपये मात्र) की				
		वांछित धनराशि 'CAMPA' मद में ई-पोर्टल के माध्यम से (e-				

17-	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	मा प्रतिमोजना के जीवन के प्रथ में जीन की शर्वा के साथ
16-	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
15-	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के निर्देशानुसार गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किया जाय। सर्वे सीमांकन आरoसीoसीo पीलर का प्रॉक्कलन मु0 2,69,144.00 (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौवालिस रूपये मात्र) का संलग्न है।
	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा पारेषण लाइन में कार्यरत श्रमिकों हेतु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन, उ०प्र० वन निगम या अन्य कानूनी श्रोतो से ईंधन क्य कर श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सनिश्चित की जाय।
14-	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि पारेषण लाइन निर्माण के दौरान पारेषण लाइन में कार्यरत श्रमिकों का वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाय।
12-	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अनुमित के बिना नहीं बदला जायेगा।
11-	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	हारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिशन लिमिटेड, बरेली को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (Environmental Protection Act,1986) के तहत् यदि आवश्यक हो पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
10-	The User Agency shall comply with the guideline for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/20 12-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली को वन क्षेत्र में पारेषण लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—7—25/2012FC, दिनांक 05.05.2014 एवं दिनांक 19.11.2016 के
9-	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	जाय। प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा अपनी लागत पर पक्षी निक्षेपको (Bird deflectors) का उपयोग उपयुक्त अंतराल पर टांसिमशन लाइन के ऊपरी कण्डक्टर में लगाया जायेगा। जिससे पारेषण लाइन के विद्युत
8-	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	portal (https://: parivesh.nic.in) उत्पन्न ई—चालान द्वारा जमा की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त कर पूर्ण अनुपालन किया



18-	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the serior	समाप्त हो जायेगी), जो भी कम हो।
	other than that specified in the project proposal,	प्रयोक्ता अभिकरण, ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना के
		अलावा अन्य किसी भी उददेश्य / प्रयोजन हेत प्रस्तावित वन भनि
19-	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to	का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
	no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसिमशन लिमिटेड, बरेली द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को
20		नारत सरकार, पयावरण वन एवं जलवाय प्रवितर्वन मंद्राच्या के
20-	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation)	पूर्व अनुबात के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जारोगा।
	violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/20 17-FC date 29/01/20 18.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा
		1937118 MOEF & CC Guidline F no 11 42/2017 FC 4
21-	Undertaking to be given by the user agency for not initiating as works in protected	25-01-2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लागी जागेगी।
	clearance from NDVII : protected area (P.A) till	अस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का वचनहरूता प्रमण पन किन
	Protected area (P.A) till NBWL clearance is	जाय कि NBWL से मंजूरी मिलने तक संरक्षित क्षेत्र में कार्य का निष्पादन न किया जाय।
22-	If, clearance from NBWI	
	Principal approval shall stand stand revoked impromptu and no claim shall be made by user agency for works done in area outside protected area (PA).	NBWL से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। इस स्थिति में संरक्षित क्षेत्र के बाहर किये गये कार्य के लिये प्रस्तावक द्वारा
23-	DFO should certify that No works are executed in	
	violation to Forest (Conservation) Act, 1980 in the said proposal.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि प्रयोगीय अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनयम
24-	Any other condition that the Ministry of	1 1000 471 000147 481 18511 71311 281
		प्रयोक्ता अभिकरण ओबरा सी बटार्ग जांगी कर १०
	stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests	THE THEORY OF THE THE THEORY OF THE THE THEORY OF THE THE THE THEORY OF THE THEORY OF THE THEORY OF THE THEORY OF THE
	&wildlife.	
		ा पान पान पान पर दिय गया निर्माण प्राप्त करावा ।
25-	All the funds received from the user agency under	
	the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only throughe-portal.	प्रयोक्ता अभिकरण <b>ओबरा-सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बरेली</b> द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से (e-portal
		(https://:parivesh.nic.in) उत्पन्न ई—चालान 'CAMPA' मद में स्थानान्तरित / जमा की जायेगी।
26-	The compliance report shall be uploaded on e- portal(https://parivesh.nic.in/).	उपरोक्त शर्तो / प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या ई—पोर्टल(https//: parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाय।

भवदीय, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर्

अ/समदिनांक

 प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

### सर्वे सीमांकन एवं वन सीमा स्तम्मों की स्थापना कार्य

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 केठवीठ डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रमाग में प्रमावित 46.879 हेठ आरक्षित एवं सरक्षित वन मूमि के गैर चानिकी प्रयोग तथा प्रमावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन के सम्बन्ध में जनपद भीरजापुर में प्रत्यावर्तित 46.778 हैठ आरक्षित वन भूमि तथा 0.101 हेठ संरक्षित वन भूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर समुचित रूप से सीमांकन किये जाने हेतु प्रॉक्कलन

> कुल वन शीमा सर्वे कार्य – 10.00 किमी0 शीमा स्तम्म स्थापना हेतु चिन्हांकन –20 शीमा स्तम्म इन्डीकेटर स्थापना हेतु चिन्हांकन – 20 इंडिकेटर

क्र संव	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	४४	धनशशि	अनुसूची दर
1	सर्वे कार्य सीमा स्तम्म एवं इडिकेटर रथापना हेतु चिन्हांकन		100053	(500)	395.2000	or Total an
2		प्रवचन	500	6,60	3300.00	
		प्रति	40	1.48	59.20	
				योग	3359 20	

सीमा स्तम्भ कार्य की स्थापना क्र संव कार्य का नाम संख्या लम्बाई चौडाई कार्य मात्रा कॅचाई हकाई घनराशि पी०डब्लू०डी० /गहराई अनुसूची दर नींव का खुदान ,सीमा स्तम्म स्थापना 1 0.50 0.50 3 घामीत हेत् पहाडी / पथरीला 252 275.00 124 सीमेन्ट बाल् 2एम०एम०पत्थर 2 0.50 0.60 गिट्टी से कंकरिटींग कार्य घाणमीत 6400 19200.00 282 0.433 0.50 1.88 घटमीठ 6400 282 3 1:24 सीमेन्ट बालू 20 एम0एम0 गिट्टी से सीमा स्तम्भ निर्माण 0.25 0.25 घ०मी० 1 6600 8250.00 283 4 सीमा स्तम्म हेतु लोहा सरिया का मृत्य 20 0 0 0.15 3 कुन्तल 4500 13500.00 502 प्लास्टर कार्य 1:4 सीमेन्ट बालू मसाला 5 20x4 0.25 1.00 20 घ०मी० 128 2560.00 584 20x1 0.25 0.00 घठमीठ 128 160.00 584 6 सीमा स्तम्भ की पुताई सफेद सीमेंट से 20 0.00 0.00 20 प्रति 67 1340.00 662 इण्डिकेटर 0.00 0 20 gfà 50 1000.00 सीमा स्तम्भ में लाल-हरा पेंटिंग एवं 20 0.00 0 20 प्रति सीमा स्तम्भ पर वन विभाग को 50 1000.00 जीवपीवएसव नव एवं संख्या लिखवाई कार्य इण्डिकेटर पत्थर का कय मूल्य 8 20 0.25 0.25 0.70 प्रति 825 16500.00 इण्डिकेटर पत्थर का साइड तक दलान 9 20 0 प्रति 56.60 1132.00 इण्डिकेटर पत्थर पीलर का सिरबोझ 20 0.00 0 प्रति 8.20 द्वारा साइड से कार्य स्थल तक दुलान 164.00 एवं लगाना इण्डिकेटर पत्थर पीलर पर नम्बर 11 0.00 0 20 प्रति 4.30 86.00 हालना 12 अन्य आकरिमक व्यय 10 प्रतिविक्तमी 160 1600.00 78799.00 कुल योग(सर्वे तथा सीमा स्तम्मों की स्थापना 3359.20 का योग ) सम्पूर्ण योग 82158.20 82000.00

प्रति किमी० धनराशि मु०-8200.00 रूपये

प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करते हुये प्रति किमी0 दर वर्ष 2021 के लिये रूपये 13205.00 मात्र (तेरह हजार दो सी पाँच रूपये )

कुल लम्बाई = 10.191 x 2.00 = 20.382 किमीo

कुल धनराशि = 20.382 x 13205 = 2,69,144.00 (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौवालिस मात्र )

- प्रतिकामाति. स्थापना

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर